



Chhattisgarh Environment Conservation Board
Paryavas Bhavan, North Block, Sector-19
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.) 492002
Email address-hocecb@gmail.com

No. ⁵⁵⁶⁶/H.O/CECB/2020

Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur, Date: 24/09/2020

To,

Director,
M/s KSK Mahanadi Power Company Ltd.
Village- Nariyara, Teh- Akaltara,
Distt- Janjgir-Champa (C.G.)

Sub: - Direction under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986. Notice thereof.

Ref: - 1. Inspection of your industry on dated 15/09/2020 by officials of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

2. NGT order dated 12.04.2019 in O.A No. 804/2017.

Whereas, the Central Government has notified the Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (herein referred to as HOWM Rules, 2016) in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) act, 1986 and in supersession of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 (herein referred to as HWM Rules, 2008) for safe and environmentally sound management of hazardous and other wastes; and

Whereas, as per Rule 4 (1) of the HOWM Rules, for management of hazardous and other wastes, an occupier shall follow the following steps namely (i) prevention; (ii) minimization ; (iii) reuse, recycling, recovery, utilization including co-processing, safe disposal; and

Whereas, as per Rule 4 (2) of the HOWM Rules, the occupier shall be responsible for safe and environmentally management of hazardous and other wastes; and

Whereas, as per Rule 6(1) of the HOWM Rules, the occupier engaged in handling, generation, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilization, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes shall obtain authorization from the State Pollution Control Board Pollution Control Committee (SPCB/PCC) ; and

D/C

Whereas, as per Rule 23 of the HOWM Rules, 2016, lays down provisions with regard to liability for damages caused to the environment or third party including financial penalty for violation of provisions of the Rules ;and

Whereas, officials from CECB inspected the unit on 15.09.2020 and following shortcomings were observed by inspecting team :-

1. Hazardous wastes were not found stored properly and no efforts have been made for their storage as per rule.
2. Display board for hazardous wastes has not been installed at the main gate of the plant premises. .

Whereas, the above observations reveal that the industry is not complying with the provisions of HOWM Rules, 2016.

Whereas, Central Pollution Control Board has prepared "Determination of Environmental Compensation to be recovered for violation of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" in compliance to the Hon'ble NGT order in the matter of O.A. No. 804/2017 dated 12.04.2019.

Whereas, the violation done by the industry falls under Category-A under section-4 of the above mentioned guidelines prepared by CPCB. The compensation is calculated as Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) based on the formula for imposing financial penalty and environmental compensation as per the above guidelines.

Now therefore, in exercise of powers under rule 23 of the HOWM Rules, 2016 the unit is here by directed to show cause why a sum of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) should not be imposed towards environmental compensation for not complying with the provisions HOWM Rules, 2016.

The reply of the show cause notice shall be submitted to CECB within 15 days from the issue of this notice, failing which CECB will be constrained to initiate action against the unit without giving any further notice in accordance with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.


Member Secretary

Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.)

Endt. No. ⁵⁵⁶⁷/H.O/CECB/2020

Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur, Date: ²⁴/⁰⁹/2020

Copy to:-

1. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, Arjun Nagar, East, Delhi for information and approval as CECB is proposing to impose a sum of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) as environmental compensation on M/s KSK Mahanadi Power Company Ltd. Village- Nariyara, Teh- Akaltara, Distt-Janjgir-Champa (C.G.) for violation of the provisions of HOWM Rules, 2016
2. The Collector, District- Janjgir-Champa (C.G.) for information please.

3. Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information and necessary action please.
4. Occupier, M/s KSK Mahanadi Power Company Ltd. Village- Nariyara, Teh-Akaltara, Distt-Janjgir-Champa (C.G.) for information and compliance.



~~Member Secretary~~
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.)

o/c

प्रति

सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
अटल नगर नवा रायपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, पोस्ट अकलतरा, जिला-जांजीगर-चांपा के निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ :- सदस्य सचिव महोदय का निरीक्षण हेतु प्राप्त वाट्सएप संदेश दिनांक 10/09/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, पोस्ट अकलतरा, जिला-जांजीगर-चांपा का निरीक्षण दिनांक 15/09/2020 को किया गया है। उद्योग का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


18.9.2020

SE/ky

क. एस. के. महानदी पॉवर
कंपनी लिमिटेड
SE/ky का को

21/9/2020

अध्यक्ष


(आर.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अटल नगर नवा रायपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

निरीक्षण प्रतिवेदन

- उद्योग मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, पोस्ट अकलतरा, जिला-जांजीगर-चांपा का निरीक्षण दिनांक 15/09/2020 को किया गया है। निरीक्षण के समय डॉ. सुरेशचन्द्र, क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर एवं श्री आर्शीवाद चाणक्य, सहायक विधि अधिकारी तथा उद्योग प्रतिनिधि श्री जी.पी. राव प्लांट हेड, श्री ए.वेणु गोपाल राव एडमिन हेड, श्री भानूप्रसाद स्वाई इन्वायरमेंट मैनेजर उपस्थित थे।
- यह कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है। इस पॉवर प्लांट की उत्पादन क्षमता 3x600 मेगावॉट है। निरीक्षण के दौरान पॉवर प्लांट उत्पादनरत पाया गया। पॉवर प्लांट से ठोस अपशिष्ट के रूप में प्रतिदिन लगभग 6,800 टन राखड़ जनित होती है।
- उद्योग के द्वारा जल की आपूर्ति महानदी से की जाती है।
- उद्योग के द्वारा राखड़ का उपयोग सीमेंट प्लांट, ब्रिक प्लांट, रोड कन्ट्रक्शन एवं लो-लाईंग एरिया में भराव में किया जा रहा है। वर्ष 2020 में माह अप्रैल से अगस्त की अवधि में 42 प्रतिशत सीमेंट उद्योगों को प्रदाय, 0.19 प्रतिशत ईट निर्माताओं को, 4 प्रतिशत सड़क निर्माण, 37 प्रतिशत क्वारी भराव एवं 13 प्रतिशत भूमि भराव में उपयोग की गई है।
- निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये :-
 1. ग्राम पंचायत तरौद की खुली भूमि में अनेक जगह डम्प की गई राखड़ को हटा लिया गया है।
 2. कोल हेण्डलिंग प्लांट के आंतरिक मार्ग के संधारण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
 3. बिलासपुर जांजीगर-चांपा राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल के पास राखड़ के बहुत से ढेर पाये गए।
 4. निर्माणाधीन पुल के पास खेत में एक हाईवा राखड़ गिरा हुआ पाया गया।
 5. कृषि उपज मण्डी के पास राखड़ से समतलीकरण का कार्य किया जाना पाया गया, किन्तु स्थल पर जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं की गई है।
 6. किरारी पत्थर खदान में राखड़ का भराव किया जाना पाया गया, किन्तु स्थल पर जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं की गई है।
 7. प्लांट से किरारी पत्थर खदान के बीच मार्ग में तीन स्थानों पर राखड़ के ढेर पाये गए।
 8. पॉवर प्लांट की चिमनियों में उत्सर्जन के सतत् परिमाण के लिए लगाये गये ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (CEMS) के स्टेक 02 एवं स्टेक 03 के डस्ट मॉनिटर के डाटा दृश्य उत्सर्जन से भिन्न पाये गए।
 9. सायं 04 बजे के बाद दो चिमनियों से काफी अधिक मात्रा में उत्सर्जन लगातार अवलोकित किया गया।
 10. उत्सर्जन एवं निस्सारण से संबंधित मुख्य द्वार पर लगा ऑनलाईन डिस्ट्रे बोर्ड बंद पाया गया।
 11. परिसंकटमय अपशिष्ट भंडारण स्थल निकृष्ट अवस्था में पाया गया। भंडारण स्थल की छत जर्जर एवं स्थल असुरक्षित है।
 12. परिसंकटमय अपशिष्ट से संबंधित डिस्ट्रे बोर्ड मुख्य द्वार पर नहीं लगाया गया है। परिसर के अंदर लगे बोर्ड में छोटी लिखावट के कारण पठन योग्य नहीं पाया गया।

(Handwritten Signature)

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि :-


1. उद्योग के द्वारा कुल हेण्डलिंग प्लांट के मार्ग का संधारण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
2. चिमनियों में स्थापित कन्टीन्यूअस एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (CEMS) ठीक से कार्य नहीं कर (Malfunctioning) रहे हैं।
3. चिमनियों से दृश्य उत्सर्जन से स्पष्ट है कि प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर पूर्ण दक्षता से कार्यरत नहीं है।
4. उद्योग के द्वारा राखड़ के भूमि भराव में अपवहन हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.ए. दिनांक 28/08/2019 का पालन नहीं किया जा रहा है।
5. उद्योग के द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अनुसार अपशिष्ट का भण्डारण नहीं किया गया है एवं डिस्पले बोर्ड भी नहीं लगाया गया है।

इस प्रकार उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग को दिनांक 13/08/2020 को वायु अधिनियम के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं प्लाई के अपवहन से संबंधित नोटिस जारी किया था। अतः नियमों के उल्लंघन के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार है :-

1. थर्मल पॉवर प्लांट, वृहद आकार, लाल श्रेणी।
2. नोटिस तिथि 13/08/2020 से निरीक्षण तिथि 16/09/2020 = 35 दिवस।
3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रतिदिन- रुपये 60,000।
4. 35 दिवस की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति = रुपये 21,00,000 (रुपये ईक्कीस लाख मात्र)।
5. परिसंकटमय अपशिष्ट के अनुचित भण्डारण स्थल हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति -रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)।
6. परिसंकटमय अपशिष्ट का उचित डिस्पले बोर्ड न लगाये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति-रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)।
7. कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति-रुपये 23,00,000 (रुपये तेईस लाख मात्र)।

उपरोक्तानुसार उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

18.9.2020


(आर.के. शर्मा)

अधीक्षण अभियंता
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अटल नगर नवा रायपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)